RU166 – II-16

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल(म0प्र0)

प्रकरण कमांकः– /2016

सार्थक आत्मज गोविन्द, आयु 06 वर्ष,नावालिक
व्दारा प्राकृतिक संरक्षक मॉ श्रीमति प्रियंका पत्नि
गोविन्द निवासी ग्राम राला तहसील नसरूल्लागंज
जिला सीहोर, मध्यप्रदेश ....निगरानीकर्ता

आज दिनांक 30/11/16 को श्री- अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत। भोपाल

बनाम

1–गीताबाई पत्नि हरिशंकर, वयस्क,निवासी कस्वा रेहटी तहसील रेहटी,जिला सीहोर मध्यप्रदेश्य
2–प्रेमनारायण आत्मज गोंरेलाल वयस्क,निवासी कस्वा रेहटी तहसील रेहटी,,जिला सीहोर मध्यप्रदेश
3–ओमप्रकाश आत्मज गोरेलाल,वयस्क
निवासी ग्राम चकल्दी तहसील रेहटी,जिला सीहोर म0प्र0
4–राजेन्द्र आत्मज गोरेलाल, वयस्क
निवासी कस्वा रेहटी तहसील रेहटी,जिला सीहोर म0प्र0
5–रामनिवास आत्मज गोरेलाल, वयस्क,
निवासी ग्राम चकल्दी तहसील रेहटी,जिला सीहोर म0प्र0
6–धर्मेन्द्र आत्मज गोरेलाल, वयस्क,
निवासी ग्राम चकल्दी तहसील रेहटी,जिला सीहोर म0प्र0
7–श्रीमति राममणी पत्नि महेश पुत्री स्वर्गीय दुजियाबाई
निवासी बैरागढ़,जिला भोपाल मध्यप्रदेश
8–श्रीमति रामबाई पत्नि रामभरोस वयस्क
निवासी होशंगाबाद जिला होशंगाबाद म.प्र.
9–कचरूलाल आत्मज रामवगस, वयस्क
10–अभिषेक आत्मज कचरूलाल,वयस्क
11–श्रीमति सुषमा पत्नि कचरू वयस्क,
12–गोविन्द आत्मज रामवगस वयस्क
13–श्रीमति प्रियंका पत्नि गोविन्द, वयस्क,
14–श्रीमति मिश्रीबाई पत्नि रामवगस वयस्क
कमांक 9 से 14 तक निवासी ग्राम राला
तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर म.प्र.
15–रामकलीबाई पत्नि सीताराम,वयस्क
निवासी ग्राम चकल्दी तहसील रेहटी जिला सीहोर
मध्यप्रदेश ....उत्तरदातागण,

निरन्तर..........2

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

अधिनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नसरूल्लागंज जिला सीहोर व्दारा अपील प्रकरण कमांक 39/अपील/ 2014–15/ गीताबाई बगेरा बनाम कचरू बगैरा ग्राम राला तहसील नसरूल्लागंज मे पारित आदेश दिनांक 20/10/2016 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी सादर प्रस्तुत है।

निगरानीकर्ता तर्फे निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है :–'

निगरानी के तथ्य

1– यह कि निगरानीकर्ता अवयस्क है तथा उसकी मॉ श्रीमति पियंका पत्नि गोविन्द उसके नैसर्गिक संरक्षक है तथा निगरानीकर्ता की ओर से वह निगरानी प्रस्तुत करने हेतु सक्षम पक्षकार है । निगरानीकर्ता ग्राम राला तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर मध्यप्रदेश के कृषक है ।

2– यह कि उत्तरदाता कमांक 1 से लगायत 8 तक व्दारा अधिनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नसरूल्लागंज के न्यायालय मे एक अपील अन्तर्गत धारा 44 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के तहत निगरानीकर्ता एवम उत्तरदाता कमांक 9 से 15 तक के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

3– यह कि उत्तरदाता कमांक 1 से 8 के अनुसार ग्राम राला तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर मध्यप्रदेश्या की नामांतरण पंजी कमांक 21 एव 22 पर पारित आदेश दिनांक 14/10/2010 को अबैधानिक रूप से बटवारा किया गया है तथा उसे निरस्त करने के संबंध मे माननीय अधिनस्थ न्यायालय से याचना करते हुए दिनांक 03/6/2014 को उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील के साथ उत्तरदाता कमांक 01 से 08 जो कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय मे अपीलार्थीगण है, के व्दारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि विधान अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उन्हे अपील करने मे आदेश दिनांक 14/10/2010 से दिनांक 20/05/2014 तक के हुए विलम्ब की क्षमा याचना हेतु निवेदन किया है।

(98)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 12-4166/II/16/सीहोर   आंचल/शीलाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/01/19	आवेदक की ओर से श्री जगदीश जैन अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी -आष्टा, सीहोर के प्रकरण क्रमांक 39/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20-10-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला -सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला -सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	